न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 41/2018 (2018/00071)

अपीलान्ट्स

1. जबरसिंह पुत्र पन्नेसिंह
2. कल्याण सिंह पुत्र पन्नेसिंह
3. गीता कंवर पत्नी रेवत सिंह
4. खुशाल सिंह गोद पुत्र आमसिंह

समस्त जातियान राजपूत, निवासीगण सोईन्तरा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. खेतसिंह पुत्र चैनसिंह
2. किशोर सिंह पुत्र चैनसिंह
3. सुजान सिंह पुत्र चैनसिंह
4. बाबूसिंह पुत्र चैनसिंह
5. गजरो देवी पत्नी चैनसिंह
6. नेमसिंह पुत्र प्रताप सिंह
7. शैतानसिंह पुत्र सोनसिंह
8. हरिसिंह पुत्र सोनसिंह
9. जेठूसिंह पुत्र पन्नेसिंह
10. भंवरसिंह पुत्र पन्नेसिंह

समस्त जातियान राजपूत, निवासीगण सोईन्तरा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

11. तहसीलदार तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध बंटवाड़ा आदेश दिनांक 31.01.2013 क्रमांक 124 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 611 स्वीकृतकिया गया।

————

उपस्थिति

1. अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अभिभाषक श्री भंवरसिंह तापु (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 5 ता 10 तक)।
3. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 नोटिस तामिल [illegible] अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेष :— दिनांक :— 26.05.2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बंटवाड़ा आदेश दिनांक 31.01.2013 क्रमांक 124 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 611 स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोईन्तरा में खसरा संख्या 354 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 355 रकबा 195 बीघा 08 बिस्वा अपीलार्थी के पिता पन्नेसिंह एवं रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त भूमि थी। पन्नेसिंह बूढे एवं अनपढ व्यक्ति थे जिनको नेमसिंह व खेतसिंह ने धोखे में रखकर अपनी मनमर्जी से बंटवाड़ा करवा लिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्टगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 10 की ओर से अभिभाषक श्री भंवरसिंह तापू ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 10.05.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश विधि व न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टपक्ष के पिता ने बंटवाड़ा पर हस्ताक्षर एवं अगुष्ठ नहीं किय थे, रेस्पो0 नेमसिंह व खेतसिंह द्वारा पन्नेसिंह को धोखे में रखकर उनका वृद्धावस्था पेंशन बनाने का कहकर बंटवाड़े के कागजात पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ करवा लिये गये जबकि पन्नेसिंह को बंटवाड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इस आधार पर बंटवाड़ा आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने निरन्तर बहस में बतलाया कि बंटवाड़ा प्रार्थना–पत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश पन्नेसिंह का हिस्सा बतलाया गया वहां पर रेतीला टीबा है जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है जबकि नेमसिंह व खेतसिंह के हिस्से में जो भूमि दर्शायी गई है वो भूमि समतल एवं कृषि योग्य भूमि है। कानूनन सभी सह खोतदारों को समान रूप से भूमि का बंटवाड़ा कर अपने–अपने हिस्से में रखनी चाहिए थी लेकिन बंटवाड़े में पन्नेसिंह को समतल व कृषि भूमि न देकर केवल रेतीला टीबा बंट में दे दिया जो न्यायोचित नहीं है। आज दिन तक नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हुई थी क्योंकि अगर मौके पर आकर तरमीम की जाती तो बंटवाड़े का पता चल जाता इसलिए पन्नेसिंह की जानकारी के बिना किया गया बंटवाड़ा आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष के अभिभाषक ने बहस में आगे बतलाया कि बंटवाड़ा आदेश में खसरा नं0 355/1 किसके हिस्से में रखा गया उसका भी उल्लेख नहीं है सीधा खसरा संख्या 355/2 से 355/4 अंकित कर दिया तथा बंटवाड़ा पर पन्नेसिंह ने कोई सहमति नहीं दी थी न ही बंटवाड़ा आदेश के बारे में पन्नेसिंह को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी थी इसलिए बिना सहमति एवं जानकारी के किया गया बंटवाड़ा निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 5 से 10 के विद्वान अभिभाषक श्री भंवरसिंह तापू ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारान् की सहमति से पारित किया गया एवं सहमति के आधार पर पारित किये गये आदेश को अपील में चुनौती नहीं दे सकते है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण सहित उपरोक्त भूमि के सभी सह खातेदार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए थे एवं उन्होनें विभाजन, इकरारनामा व नक्शे पर अपनी सहमति से क्रम से हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये थे। अतः अपील विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण का कहना है कि अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ के निशान धोखे से करवाये गये। यदि धोखे का आरोप है तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय है ना कि राजस्व न्यायालय। इस बाबत् रेस्पोडेन्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक नजीर 2012(1)त्त्ज पेज नं0 558 प्रस्तुत की। जिसमें उल्लेख है कि "Question of fraud cannot be adjudicated effectively by the Revenue Courts."

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि वारदग्रस्त भूमि में अपीलान्ट्स का टांका एवं ढाणी बने हुए है जहां 10 दिन पहले नेमसिंह ने तारबन्दी करनी शुरू की और हमारे कब्जे से हमें बेदखल करनी की धमकी दी तब अपीलान्ट्स पटवारी हल्का के पास गए और राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06.07.2018 को हुई। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने तथा रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बंटवाड़ा आदेश दिनांक 31.01.2013 क्रमांक 124 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 611 स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल आपसी सहमति बंटवाड़ा का अवलोकन किया जिसमें सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ के निशान है। उक्त बंटवाड़ा तहसीलदार के समक्ष सभी सह खातेदारों की उपस्थिति में पेश किया गया है। मूल बंटवाड़ा आदेश के साथ नक्शा भी सलंग्न है जिसमें सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर है तथा जिसकी सरपंच ग्राम पंचायत सोईन्तरा द्वारा पहचान की जाकर तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा प्रमाणित किया गया है। अपीलार्थीगण ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

अपील में यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने धोखे से हस्ताक्षर करा लिये। यह तथ्य मानने योग्य नहीं है क्योंकि सभी सह खोतदारों ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा पेश किया है। राजस्व न्यायालय द्वारा कपट के प्रश्न को प्रभावी रूप से अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता। धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सभी प्रकार के सिविल विवादों के विचारण की सिविल न्यायालय को अन्तर्निहित अधिकारिता है। राजस्व न्यायालय द्वारा कपट जैसे बिन्दुओं पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested